समस्या समाधान छपरी

समस्या समाधान छपरी

वैसे तो राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी नीति के अर्न्तगत जन समस्या समाधान के उपक्रम नागौर जिले सहित सभी स्थानो पर चलते है तथा उनके अच्छे परिणाम आते है। किन्तु ऐसा महसुस किया गया है कि आमजन अपनी समस्या एवं परिवेदना जिलाधीश के चेम्बर के बजाय चेम्बर से बाहर खुले वातावरण में अधिक सहजता से प्रकट कर सकता है और ऐसी व्यवस्था आमजन के लिए सुलभ पहुंच के दायरे में होकर सुविधाजनक रहेगी।

इसी सोच से प्रेरित होकर चेम्बर से बाहर आकर कलेक्ट्रेट स्थित पार्क में खुले आसमान के नीचे एक छपरी तैयार करवाई गई है जंहा बैठकर प्रतिदिन 12.00 बजे से 1.00 बजे तक जन समस्याऔं की सुनवाई की जाती है, जंहा प्रतिदिन काफी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर आते है और जिला कलक्टर से मुखातिब होकर सहजता से अपनी बात कहते है।

समस्या समाधान छपरी में प्राप्त परिवादों को कम्प्यूटर द्वारा ''समस्या समाधान छपरी'' साफट्वेयर के माध्यम से दर्ज किया जाकर संबधित विभागो को भिजवाया जाता है। छपरी में एक टेलीफोन भी रखा गया है, अत्यावश्यक एवं संवेदनशील मामलो में प्रार्थी के समक्ष ही संबधित अधिकारी को टेलीफोन कर समस्या निराकरण निर्देश दिये जाते है। छपरी में मुख्य टेबल के साईड में एक कर्मचारी को बैठाया गया है जो उनकी समस्याऔं का प्रार्थना पत्र स्वंय टाईप करता है, जो प्रार्थी प्रार्थना पत्र लिखकर नही लाये है तथा लिखने में समर्थ नही है। समस्या समाधान छपरी' में दर्ज प्रकरणो की समीक्षा सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों के साथ प्रत्येक सोमवार को साप्ताहिक बैठक के दोरान की जाती है। परिवादो के निस्तारण की जो सुचना विभागो/अधिकारियो से प्राप्त होती है, उससे परिवादियों को लिखित में अवगत कराया जाता है तथा परिवादियो के संतुष्ठ न होने की स्थिति में परिवाद का पुनः विश्लेषण किया जाकर संबधित विभाग को निर्देशित किया जाता है।

कार्यालय जिला कलक्टर, नागौर
जन सुनवाई
(समस्या समाधान छपरी)

क्रमांक : पी.जी. / 2011 / .... दिनांक : ....

प्रेषित :

....

....

विषय : आपका परिवाद पी.जी. संख्या ....दिनांक ....

आप द्वारा प्रस्तुत परिवाद पी.जी. संख्या .... दिनांक.....................के सम्बन्ध में जांच अधिकारी ....से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। उन्होने आपके परिवाद के मामले में निम्न रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि–

'' ....

....

....''

उक्त रिपोर्ट के अनुसार इस स्तर पर आपके प्रकरण का निपटारा संभवतः हो जाता है। इस सम्बन्ध में आपको फिर भी कुछ कहना हो तो किसी भी कार्य दिवस को दोपहर 12.00 बजे से 01.00 बजे के मध्य कार्यालय जिला कलक्टर, नागौर में स्थापित ''**समस्या समाधान छपरी**'' में **स्वयं निजी रूप से आकर मेरे समक्ष आकर बता सकते** है। **यह आपकी राजकीय यात्रा का अनुमति पत्र नहीं है।**

जिला कलक्टर,
नागौर

समस्या समाधान छपरी समस्याओं के यथाशीघ्र समाधान का प्रयत्न है– इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है।

सार्वजनिक तालाब की अंगोर को कराया अतिक्रमण मुक्त

अध्यक्ष महादेव विकास समिति एवं तहसील नागौर के ग्राम टांकला के निवासियों नें समस्या समाधान छपरी में उपस्थित होकर जिला कलक्टर को अवगत कराया कि ग्राम टांकला के सार्वजनिक तालाब की अंगोर भूमि ख.न. 664 में पूर्व में अतिक्रमण हटाया गया था, परन्तु श्री रामनिवास पुत्र श्री गेम्परराम बावरी व अन्नी पुत्री प्रहलादराम कुम्हार नें पुनः अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमण की इस शिकायत को जिला प्रशासन द्वारा गंभीरता से लिया जाकर तहसीलदार नागौर को तुरन्त मौके पर जाकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार, नागौर द्वारा पटवारी हल्का, टांकला एवं भू.अ. निरीक्षक कुम्हारी एवं ग्रामवासियों की मौजूदगी में तालाब की अंगोर से अतिक्रमण हटवाया जाकर सार्वजनिक तालाब की अंगोर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया।

....

निशक्तजनो के लिए वरदान बनी छपरी

नागौर निवासी मिश्रीलाल पुत्र घनश्याम जाति कोली ,खरनाल निवासी तिलोकराम पुत्र श्री नन्दाराम जाति नायक, बिदियाद तहसील परबतसर निवासी घेवरराम पुत्र कानाराम जाति रेबारी, बिदियाद तहसील परबतसर निवासी धन्नाराम पुत्र लाबूराम जाति मेघवाल द्वारा समस्या समाधान छपरी में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विकलांग होने के कारण ट्राई साईकिल दिलवाने की मांग की। इन चारो विकंलाग व्यक्तियों को जिला समाज कल्याण अधिकारी के मार्फत मौके पर उसी दिन ट्राई साईकिले उपलब्ध करवाई जाकर उनको हंसते हंसते रवाना किया गया।

....

विधवाऔं को मिला जीने का सहारा

नागौर निवासी श्रीमती रशिदा पत्नि स्व. फकरू खां जाति मुसलमान व श्रीमती साबरा पत्नि अब्दुल रहमान जाति मुसलमान ने समस्या समाधान में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि उनको पेन्शन स्वीकृति के बावजूद पी.पी.ओ. जारी नहीं होने से पेन्शन नहीं मिल रही है। उपखण्ड अधिकारी को उसी रोज पी.पी.ओ. जारी करने के निर्देश दिये गये। उपखण्ड अधिकारी द्वारा दोनो प्रार्थीनियों को पी.पी.ओ. जारी करवाया जाकर संयुक्त पेन्शन दिलवाई गई।

....

☺ ज्याना देवी को दिलाई वृद्धावस्था पेन्शन

ग्राम कासण तहसील लाडनूं निवासी श्रीमती ज्याना देवी पत्नि फूलाराम जाति सांसी समस्या समाधान छपरी में उपस्थित होकर वृद्धावस्था पेन्शन दिलवाने का अनुरोध किया। वृद्धावस्था पेन्शन स्वीकृत करने हेतु विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लाडनूं को निर्देश दिय गये। विकास अधिकारी, पं.स. लाडनूं द्वारा वृद्धावस्था पेन्शन स्वीकृत की जाकर पी.पी.ओ. जारी करवाया जाकर वृद्ध मलिा को राहत प्रदान की।

....

☺ विद्यार्थी मित्र को २ वर्ष से अटका मानदेय दिलवाया

श्री नरेन्द्रसिंह, विद्यार्थी मित्र, राउप्रावि, हनुमाननगर नारवा खुर्द तहसील खींवसर समस्या समाधान छपरी में उपस्थित होकर अवगत कराया कि प्रार्थी को वर्ष 2009 का बकाया मानेदय नही दिया जा रहा है। तथा ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, मूण्डवा के बार बार चक्कर लगाने के बावजुद सन्तौषप्रद जवाब नही दिया जा रहा है तथा बकाया मानदेय दिलवाने की मांग की। विद्यार्थी मित्र को तुरन्त मानदेय का भुगतान करने हेतु ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, मूण्डवा को निर्देश दिये गये। ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, मूण्डवा द्वारा विद्यार्थी मित्र का बकाया मानदेय का भुगतान करवा गया।

....

☺ मांगीलाल को दिलाई संयुक्त पेन्शन

नागौर निवासी मांगीलाल पुत्र खुमाराम जाति नायक ने समस्या समाधान छपरी में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन स्वीकृति के उपरान्त पी.पी.ओ. जारी नहीं होना बताया। इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी को पी.पी.ओ. जारी करने के निर्देश दिये गये। उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रार्थी के नाम पी.पी.ओ. जारी करवा कर संयुक्त पेन्शन दिलवाई जाकर राहत प्रदान की गई।

....

☺ बी.पी.एल. चयनित को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी करवाया

श्री रामचन्द्र पुत्र स्व. श्री मंछाराम जाति जाट निवासी सिणोद तहसील नागौर ने समस्या समाधान छपरी में उपस्थित होकर अवगत कराया कि प्रार्थी बी.पी.एल. में चयनित है। अतः प्रार्थी के नाम निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी करवाया जावें। प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु अधीक्षण अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, नागौर को भिजवाया गया। अधीक्षण अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, नागौर द्वारा बीपीएल चयनित को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी करवाया जाकर बी.पी.एल. परिवार को राहत प्रदान की गई।

....

☺ पुनाराम हरिजन की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया

श्री पुनाराम पुत्र भोलाराम जाति मेहतर निवासी मोकलपुर तहसील मेड़ता ने समस्या समाधान छपरी में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा उसके खेत पर रामलाल,रामनिवास,रामस्वरूप,नरसिंह,सबीर एवं असगर नें नाजायज रूप से कब्जा कर उसको बेदखल कर दिया है तथा उसको व उसके परिवार को खेत में घुसने नही दिया जा रहा है। प्रार्थी नें इन प्रभावशाली अतिक्रमियों से खेत को अतिकमण मुक्त करवाकर उक्त खेत का कब्जा दिलवाने की मांग की। प्रकरण में तुरन्त कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार, मेड़ता को निर्देश दिये गये। तहसीलदार, मेड़ता द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति के खेत से अतिक्रमण हटवाकर खेत का कब्जा प्रार्थी को सौंपा गया।

....

जिला कलक्टर नें खुद मौके पर जाकर समझाईश से हटवाया अतिक्रमण

श्री सत्यनाराण पुत्र श्रवणराम जाति गुरडा निवासी डिडियाखुर्द तहसील जायल ने समस्या समाधान छपरी में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रार्थी के रहवासी मकान के आगे रास्ते पर श्री बाबुलाल पुत्र बद्रीराम एवं रूघनाथ पुत्र बद्रीराम जाति मेघवाल द्वारा पत्थर डालकर रास्ता अवरूद्ध कर अतिक्रमण कर लिया है। प्रार्थी अतिकमण को लेकर परेशान था बार बार चक्कर काटने के बावजुद न तो ग्राम पंचायत सुनवाई कर रही थी और न ही रास्ता खुलवाने में कोई मदद कर रहा था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए और परिवादी को शीघ्र राहत प्रदान करने की दृष्टि से स्ंवय जिला कलक्टर तहसीलदार व विकास अधिकारी के साथ मौके पर पहुंच कर सभी ग्राम वासियों की सहमति से दोनों पक्षों में समझौता करवाकर रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवाकर समस्या का समाधान कराया।

....

चूकी देवी के घर में कराया उजाला

श्रीमती चुकादेवी पत्नि शिवशंकर जाति ब्राह्म्ण निवासी निमबड़ी चांदावता तहसील डेगाना बीपीएल में चयनित थी तथा अपने घर में रोशनी के लिए 8 माह से परेशान हो रही थी। ग्राम के ही किसी व्यक्ति नें उसको बताया कि जिला कलक्टर प्रतिदिन समस्या समाधान छपरी में आम लोगो की समस्या सुनते है। अपने घर में रोशनी होने की उम्मीद के साथ प्रार्थीया जिला कलक्टर के समक्ष समस्या समाधान छपरी में उपस्थित हुई तथा बीपीएल परिवार को निःशुल्क विधुत कनेक्शन दिलवाने का अनुरोध किया। जिला कलक्टर नें इस प्रकरण में तुरन्त कार्यवाही करने हेतु अधीक्षण अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, नागौर को निर्देश दिये गये। अधीक्षण अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, नागौर द्वारा बीपीएल चयनित को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी करवाया जाकर बीपीएल महिला के घर में उजाला किया।